



2026: AHC: 28659-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - **256/2026**

राकेश कुमार गंगवार और अन्ययाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्यउत्तरदाता(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: अखिलेश कुमार पाण्डेय

उत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता: सीमा अग्रवाल, एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता)

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका, कथित रूप से जनहित में, याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्तरदाताओं को पेराई सत्र 2023-24 और 2024-25 के लिए गन्ना मूल्य के बकाया का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. याचिका के अवलोकन से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता स्वयं अन्य लोगों के साथ बकाया भुगतान का दावा कर रहे हैं।
3. याचिकाकर्ताओं और अन्य सभी के भुगतान के लिए जनहित याचिका दायर किया जाना, स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। यदि याचिकाकर्ताओं का कोई बकाया है, तो वे भुगतान की मांग करते हुए हमेशा सक्षम प्राधिकारी/मंच से संपर्क कर सकते हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. उक्त उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर किया जाना स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए, याचिका खारिज की जाती है, याचिकाकर्ताओं के लिए कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने का विकल्प खुला छोड़ दिया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

10 फरवरी, 2026

आर.के./ए.के.शुक्ला

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"